उत्तर प्रदेश शासन
स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन अनुभाग-2
संख्या : 2/2026/25/94-2-2026-700(06)/2026
लखनऊ, दिनांक : 16 जनवरी, 2026

अधिसूचना
आदेश

उत्तर प्रदेश में अपनी प्रवृत्ति के संबंध में समय-समय पर यथासंशोधित भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 (अधिनियम संख्या 2 सन् 1899) की धारा 9 की उपधारा (1) के खंड (क) के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके राज्यपाल नीचे अनुसूची के स्तम्भ-4 में दर्शित लिखत के सम्बन्ध में इस अधिसूचना के सरकारी गजट में प्रकाशित किये जाने के दिनांक से उत्तर प्रदेश बायोप्लास्टिक उद्योग नीति, 2024 के उपबंधानुसार उक्त अनुसूची के स्तम्भ-2 में वर्णित प्रयोजन हेतु एंकर इकाइयों एवं गैर-एंकर इकाइयों को उसके स्तम्भ-3 में उल्लिखित सीमा तक प्रभार्य स्टाम्प शुल्क में छूट प्रदान करते हैं-

अनुसूची

स्टाम्प शुल्क छूट के सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश बायोप्लास्टिक उद्योग नीति-2024 के पैरा	**विवरण/ प्रयोजन**	**छूट की सीमा**	**लिखत की प्रकृति**
1	2	**3**	4
पैरा 22 (छ) (दो) की सारणी	**(क्रमांक-1)**एंकर इकाइयों को बायोप्लास्टिक विनिर्माण परियोजना हेतु स्टाम्प शुल्क छूट।	**(क)**पूर्वांचल तथा बुन्देलखण्ड में **100 प्रतिशत।** **(ख)**मध्यांचल व पश्चिमांचल में (जिला गौतम बुद्ध नगर व गाजियाबाद को छोडकर) **75 प्रतिशत।** **(ग)** जिला गौतम बुद्ध नगर व गाजियाबाद में **50 प्रतिशत।**	उत्तर प्रदेश राज्य में अपनी प्रवृत्ति के सम्बन्ध में यथा संशोधित भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 (अधिनियम संख्या 2 सन् 1899) की अनुसूची 1(ख) के अनुच्छेद 23 के खंड(क) के अधीन हस्तान्तरण।
पैरा 22 (छ) (दो) की सारणी	**(क्रमांक-2)** गैर-एंकर इकाइयों को स्टाम्प शुल्क छूट।	(क्रमांक-1) पर वर्णित एंकर इकाइयों को अनुमन्य छूट की सीमानुसार।	उत्तर प्रदेश राज्य में अपनी प्रवृत्ति के सम्बन्ध में यथा संशोधित भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 (अधिनियम संख्या 2 सन् 1899) की अनुसूची 1(ख) के अनुच्छेद 23 के खंड(क) के अधीन हस्तान्तरण।

इस अधिसूचना के अधीन पूर्वोक्त छूट निम्नलिखित निबन्धन एवं शर्तों के अध्यधीन होगी-

1- सम्बन्धित जिले के जिला मजिस्ट्रेट अथवा उपायुक्त, जिला उद्योग केन्द्र लिखत में पुष्टि करेंगे कि विलेख का निष्पादन उत्तर प्रदेश बायोप्लास्टिक उद्योग नीति-2024 के अधीन हो रहा है और उक्त प्रयोजनार्थ साक्षी के रूप में हस्ताक्षर करेंगे।

2- स्टाम्प शुल्क छूट के समतुल्य धनराशि की, अप्रति-संहरणीय बैंक प्रत्याभूति महानिरीक्षक निबंधन उत्तर प्रदेश अथवा सम्बन्धित जिले के जिला मजिस्ट्रेट के पक्ष में, ऐसे विलेख के रजिस्ट्रीकरण के समय रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत की जायेगी। बैंक प्रत्याभूति की विधि मान्यता अवधि पात्र विनिधान अवधि से न्यूनतम एक वर्ष अधिक की होगी।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

3- इस अधिसूचना में उल्लिखित उपबन्ध, इस अधिसूचना के सरकारी गजट में प्रकाशित किये जाने के दिनांक से पूर्वोक्त नीति की प्रभावी अवधि तक प्रवृत्त रहेंगे। यदि, किन्ही कारणों से, उक्त नीति समाप्त की जाती है तो इस अधिसूचना के अधीन प्रदत्त छूट उक्त नीति के प्रत्याहरण के दिनांक से स्वतः प्रतिसंहृत समझी जायेगी।

आज्ञा से,

अमित गुप्ता
प्रमुख सचिव

संख्या : 2/2026/25(1)/94-2-2026-700(06)/2026 दिनांक : 16 जनवरी , 2026

प्रतिलिपि- हिंदी एवं अंग्रेजी अधिसूचना की प्रति सहित संयुक्त निदेशक, राजकीय मुद्रणालय ऐशबाग, लखनऊ को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि वह कृपया इसे दिनांक 16 जनवरी, 2026 के असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट भाग-4 खण्ड (ख) में अवश्य प्रकाशित करा दें और तत्पश्चात गजट की 100 प्रतियाँ आयुक्त, स्टाम्प उत्तर प्रदेश, लखनऊ को तथा 50 प्रतियाँ शासन के इस विभाग को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

सुधीर कुमार
विशेष सचिव।

संख्या :2/2026/25(2)/94-2-2026-700(06)/2026 दिनांक : 16 जनवरी , 2026

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अपर मुख्य सचिव, मा० मुख्यमंत्री, उ०प्र० शासन।
2. स्टाफ ऑफिसर, मुख्य सचिव, उ०प्र० शासन।
3. अपर मुख्य सचिव, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग, उ0प्र0 शासन।
4. महानिरीक्षक निबन्धन/आयुक्त स्टाम्प, उ०प्र०।
5. समस्त मण्डलायुक्त, उ०प्र०।
6. आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, उ०प्र० लखनऊ।
7. समस्त जिलाधिकारी, उ०प्र०।
8. समस्त उप महानिरीक्षक निबन्धन, उ०प्र०।
9. समस्त अपर जिलाधिकारी (वि०/रा०), उ०प्र०।
10. समस्त सहायक महानिरीक्षक निबन्धन, उ०प्र०।
11. विधायी अनुभाग-1
12. भाषा अनुभाग-5
13. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

शिव कुमार
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

UTTAR PRADESH SHASAN
STAMP EVAM REGISTRATION ANUBHAG-2

The Governor is pleased to order the publication of the following English translation of Government Notification no. 2/2026/25/94-2-2026-700(06)/2026, dated : 16 January, 2026 :

NOTIFICATION
Order

No. 2/2026/25/94-2-2026-700(06)/2026
Lucknow, Dated : 16 January, 2026

In exercise of the powers under clause (a) of sub-section (1) of section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (Act No. 2 of 1899), as amended from time to time in its application to the State of Uttar Pradesh, the Governor is pleased to remit, with effect from the date of publication of this notification in the Official Gazette, the stamp duty chargeable in relation to the instruments shown in Column-4 of the Schedule below, in accordance with the provisions of the Uttar Pradesh Bioplastic Industry Policy, 2024 to Anchor and Non-Anchor units for the purpose described in Column-2 of the said Schedule, to the extent mentioned in Column-3 thereof.

SCHEDULE

Paragraphs of the Uttar Pradesh Bioplastic Industry Policy, 2024 relating to stamp duty exemption	**Description/ Purpose**	**Extent of Remission**	**Nature of Instruments**
1	**2**	**3**	**4**
Table to paragraph 22 (G) (ii)	**(No. 1)** Stamp duty remission to Anchor units for bioplastic manufacturing project	**(a)** In Poorvanchal and Bundelkhand — **100 percent** **(b)** In Madhyanchal and Paschimanchal (except Gautam Buddh Nagar and Ghaziabad districts) — **75 percent** **(c)** Gautam Buddh Nagar and Ghaziabad districts — **50 percent**	Conveyance under clause (a) of Article-23 of Schedule I-B of the Indian Stamp Act, 1899 (Act No. 2 of 1899) as amended in its application to the State of Uttar Pradesh

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

Table to paragraph 22 (G) (ii)	**(No. 2)** Stamp duty remission to Non-Anchor units	According to the extent of remission permissible to Anchor units described at (No. 1)	Conveyance under clause (a) of Article-23 of Schedule I-B of the Indian Stamp Act, 1899 (Act No. 2 of 1899) as amended in its application to the State of Uttar Pradesh

The aforesaid remission under this notification shall be subject to the following terms and conditions:-

1. District Magistrate of the concerned district or Deputy Commissioner, District Industries Centre shall confirm in the instrument that the deed is being executed under The Uttar Pradesh Bioplastic Policy, 2024 and shall also sign as a witness for the said purpose.

2. Irrevocable Bank Guarantee of the amount equivalent to the remission of stamp duty, in favour of the Inspector General, Registration, Uttar Pradesh or the District Magistrate of the concerned district, shall be presented before the registration officer at the time of the registration of such deed. The validity period of the bank guarantee should be minimum up to more than one year than the eligible investment period for the above companies.

3. The provisions mentioned in this notification shall remain in force from the date of publication of this notification in the Official Gazette till the effective period of the aforesaid policy. In case, the said policy comes to end, by any means, the remission granted under this notification shall be considered to be revoked by itself from the date of withdrawal of the said policy.

By Order,

(Amit Gupta)
Pramukh Sachiv.

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।